न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 563/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

1 बरकतअली
2 अब्दुल मलिक | पि.इलमदीन जाति कुम्हार (मुस्लमान) साकिन ढालिया तहसील जिला हनुमानगढ

बनाम

वादीगण

1 जुल्फकार
2 मुस्तफा
3 रहमतअली
4 वजीर खां | अब्दुल खालीक पुत्र इलमदीन जाति कुम्हार (मुस्लमान) निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया
6 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (वादीगण)
2. ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (प्रति.स. 1 ता 4)

निर्णय

दिनांक:— 19.1.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही सयुंक्त परिवार के मृतक इलमदीन पुत्र निजामदीन व वजीरा पत्नी इलमदीन के वंशज है। मृतक इलमदीन पुत्र निजामदीन के नाम से चक 19 एफ.टी.पी में 2.784 हैक्टेयर व तहसील हनुमानगढ चक नम्बर 37 एन.जी.सी में 1.445 हैक्टेयर कृषि भूमि थी। इलमदीन व उनकी पत्नी वजीरा की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि उसके जायज व कानूनी वारिसान के नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। इलमदीन के जायज व कानूनी वारिसान मे से उसकी पुत्रियो जुलेखां, मलूका, बानो, शकुरा तथा मृतक पुत्री अगूंरा की एक मात्र वारिस जैनब ने अपने विरास्तन हिस्सा का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया है व मृतक पुत्र अब्दुल खालिक की पत्नी जैतून पत्नी अब्दुल खालीक व पुत्री नूरसलाम ने भी अपने विरास्तन हिस्सा का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष मे कर दिया है जिसका नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विरास्तन कृषि भूमि का आपस में अच्छी मन्दी के अनुसार विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन के वादीगण के हिस्सा में चक 19 एफ.टी.पी के खाता संख्या 92/127 में वादी संख्या 1 अब्दुल मलिक के हिस्सा में 1.0825 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 बरकत अली मे हिस्सा में 1.7595 हैक्टेयर कृषि भूमि हिस्सा मे आई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा तहसील हनुमानगढ के चक 37 एन.जी.सी के खाता संख्या 2/14 की 1.1236 हैक्टेयर कृषि भूमि हिस्सा में आई है अतः वादीगण चक 19एफटीपी के खाता संख्या 92/127 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कुल 0.7217 हैक्टेयर के ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार हैं। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनूनम विनय की कि मुताबिक घरू बंटवारा के चक 19 एफ.टीपी के खाता संख्या 92/127 में उनके नाम दर्ज 0.7217 हैक्टेयर का हमें खातेदार काश्तकार मान कर इसीनुसार राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम दर्ज करवा दो व अपना नाम कलमंजन करवा लो व चक 37 एन.जी.सी खाता संख्या 2/14 में हमारे नाम दर्ज 0.7492 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा लो व हमारा नाम कलमजन करवा दो किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इंकार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वादीगण ने घरू बंटवारा में प्राप्त चक 19 एफ.टीपी की कृषि भूमि पर काफी मेहनत कर व रूपये खर्चा कर भूमि अच्छी किस्म की तैयार की है यदि वादीगण को चक 19 एफ.टीपी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कुल 0.7217 हैक्टेयर का विरास्तन खातेदार काश्तकार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जोबित नही किया गया तो हमें कभी भी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से नही आंकी जा सकेगी। वादीगण को घरू बंटवारा व अच्छी गन्दी के हिसाब से चक 19 एफ.टी.पी की कृषि भूमि प्राप्त हुई अतः वादी प्रथम दृष्टया चक कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार है। अतःप्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में मेड आउट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है बल्कि भूमि धारक के कारण पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि वादीगण चक 19 एफ.टी.पी के खाता संख्या 92/127 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कुल 0. हैक्टेयर कृषि भूमि के विरास्तन खातेदार काश्तकार है एव चक 19 एफ.टी.पी के खाता संख्या 92/127 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 37 एनजी.सी के खाता संख्या 02/14 से वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर हमारा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सामन तलब किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा पेश कर वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करना चाहते है, इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म न. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

- चक 19 एफटीपी खाता संख्या 92/27 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी।
- चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 2/14 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की जमाबन्दी।
- चक 37 एन.जी.सी. नामान्तरण संख्या 631 दिनांक 14.06.2024 की प्रति।
- चक 19 एफटीपी नामान्तरण संख्या 1379 दिनांक 20.11.2024 की प्रति।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 19 एफटीपी खाता संख्या 92/27 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 2/14 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की जमाबन्दी में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है तथा वादीगण/प्रतिवादीगण का आपस में कोई विरोध नहीं है। इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 19 एफटीपी खाता संख्या 92/27 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 2/14 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपने हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर रहें है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा भी पेश हो चुके है। परिणाम स्वरुप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है:–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम संगरिया तहसील के चक 19 एफटीपी खाता संख्या 92/127 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिव खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण के नाम हनुमानगढ़ तहसील के चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 2/14 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में दर्ज कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिव खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको में इसी अनुसार इनका हिस्सा कम/ज्यादा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तार हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 563 / 2025

1 बरकतअली पि० इलमदीन जाति कुम्हार (मुस्लमान) साकिन ढालिया तहसील जिला हनुमानगढ
2 अब्दूल मलिक

वादीगण

बनाम

1 जुल्फकार
2 मुस्तफा
3 रहमतअली
4 वजीर खां

अब्दुल खालीक पुत्र इलमदीन जाति कुम्हार (मुस्लमान)
निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

5 तहसीलदार राजस्व संगरिया
6 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष बावते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम संगरिया तहसील के चक 19 एफटीपी खाता संख्या 92 / 127 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव वादीगण के नाम हनुमानगढ तहसील के चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 2 / 14 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में दर्ज कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको में इसी अनुसार इनका हिस्सा कम / ज्यादा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुल्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय सुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.1.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया